**निर्माण करार**

**करार का ज्ञापन**

................ निवासी (इसमें इसके पश्चात प्रथम भाग के रूप में निर्देशित किया गया) और श्री ................ निवासी............... (इसमें, इसके पश्चात् दूसरे पक्षकार के रूप में निर्देशित किया गया)

पद "प्रथम" एवम् "द्वितीय" के अन्तर्गत क्रमशः उनके उत्तरवर्तीगण, विधिक वारिसान, नाम निर्देशितीगण, हिताधिकारीगण, प्रतिनिधिगण एवम समनुदेशितीगण आयेंगे।

प्रथम पक्षकार………….में स्थित सम्पत्ति का पूर्ण एवम् एक मात्र स्वामी है। कथित सम्पत्ति एक 320 वर्ग गज भूखण्ड पर निर्मित की गयी एक मंजिला इमारत है देखे : क्रम सं.... बही सं ...... वालूम सं....... पृष्ठ .......... से ......... तक दिनांकित .............. में रजिस्ट्रीकृत पट्टाविलेख / कथित सम्पत्ति कथित सम्पत्ति स्वार्जित की गयी सम्पत्ति क्रय की गयी तथा प्रथम पक्षकार के स्वयम् की निधि में से निर्मित की गयी है।

और यतः अब प्रथम पक्षकार ................ में कथित सम्पत्ति के प्रथम फर्श को पूरा करना चाहता है ताकि उसका उपयोग नैसर्गिक वारिसो के बीच किया जा सकेगा या उसको पट्टे पर दिया जा सकेगा या विक्रय किया जा सकेगा या इस प्रकार पट्टे पर दिया जा सकेगा जैसे भविष्य में बेहतर एवम् आरामदेय जीवन प्राप्त करने के लिए प्रथम पक्षकार या उसके वारिसो के हित में और या इसके अनन्य विवेकाधिकार में प्रथम पक्षकार द्वारा जैसी इच्छा की जाय। किसी प्रकार, प्रथम पक्षकार कथित प्रयोजनार्थ तरल नकद का एक प्रकार है।

और यतः प्रथम पक्षकार दूसरे पक्षकार के सम्पर्क में आया है जो प्रथम पक्षकार की कथित इच्छा को पूरा करने में सहायता कर रहा है। द्वितीय पक्षकार इस शर्त पर पूरे प्रथम फर्श के निर्माण को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है द्वितीय फर्श रिक्त फ्लैट के स्वामित्व का अधिकार तथा ऊपर दूसरे फर्श पूरे खुले चबूतरा क्षेत्र का 50% दूसरे पक्षकार को दिया जाता है जो अपनी स्वयं की निधि से दूसरे फर्श का निर्माण करेगा और इस करार में यथा वर्णित विशुद्ध रूप से आवासिक प्रयोजनार्थ उसका उपयोग करेगा। कथित प्रस्ताव प्रथम पक्षकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

**अब यह करार निम्नलिखित रूप में साक्षित करता है**

1. यह कि दूसरा पक्षकार इस करार के अधीन दूसरे पक्षकार को दिये गये अधिकारो के सम्पूर्ण प्रतिफल के रूप में चैक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रथम पक्षकार को .......... रुपये (............... रुपये मात्र) की एक रकम का संदाय करेगा। संदाय की अनुसूची पारस्परिक तौर पर दोनों पक्षकारों द्वारा करार किया गया है। समय-समय पर निष्पादित की गयी सम्पूर्ण रसीदे स्वयमेव इस करार का भाग हो जायेगी।
2. इसमें पूर्ण तौर पर रुपये (................ रुपये मात्र) की उपर्युक्त रकम के भगतान पर द्वितीय पक्षकार कथित द्वितीय फर्श और पारस्परिक तौर पर करार पायी गयी आधार पर यथा अंकित की गयी तथा परिवेष्ठित किये गए नक़्शे पर उपदर्शित द्वितीय फर्श उपर चबूतरे के सामने वाले भाग के 50% के सभी खुले स्थानों को सम्मिलित कर कथित दुसरे फर्श का पूर्ण,अनन्य एवम एक मात्र स्वामी होगा .यह चबूतरा सदैव एक पूर्णतया खुला रहने वाला चबुतारिय के क्षेत्र बके रूप में होगा .
3. यह की उपर रकम...........रुपये (...............रुपये मात्र का उपयोग प्रथम पक्षकार द्वारा प्रथम फर्श के निर्माण को पूरा किये जाने में वित्तीय सहायता प्रदान के लिए किया जाएगा जो ऐसे सर्वोत्तम समीचीनता के साथ कथित निर्माण को पूरा करने के लिए या तो इस रकम को पूर्णतया या अंषता खर्च करेगा की निर्माण योजना के पुन्हा प्रवर्तन की नई मंजूरी की तारीख से न्यूनतम छ: महीने के अन्दर प्रथम फर्श की छत का पूर्णतया निर्माण हो सके . इसके समरूप ही द्वितीय पक्षकार.
4. यह की संव्यवहार दिल्ली खंड स्वामित्व अधिनियम के नए अंत स्थापित उपबंधो को सम्मिलित कर पत्ता के सभी शासित करने वाली विधियों,नियमो,विनियमनो,पॉलिसियो,मार्गनिर्दशनो ,निबंधनो ,एव शर्तो तथा समय समय पर लागू होने वाले जैसे की कानूनी प्रावधानों ,नियमो,विनियमनो,पॉलिसियो इत्यादी के अध्यधीन होगा. द्वितीय पक्षकार अपने स्वयं के नाम से उपयुक्त द्वितीय फर्श को रजिस्ट्रीकृत करवाने. दाखिल ख़ारिज करवाने के लिए हक़दार होगा ज्योही यह अनुद्न्येय हो ,परन्तु यह तब जबकि ,द्वितीय फर्श एव मात्र उपर की और के सम्पूर्ण लगत एव खर्च को द्वितीय पक्षकार द्वारा उपगात किया जायेगा .
5. कब्ज़ा पात्र की तारीख से भुमिताल की छत का कब्ज़ा एस कारार के प्रयोजनार्थ दुसरे पाक्ष्कर को प्रथम पक्षकार द्वारा सोंप दिया गया होगा और द्वितीय फर्श के निर्माण के प्रारंभ होने टाक द्वितीय पक्षकार के साथ रना समझा जायेगा . तत्पश्चात द्वितीय फर्श और द्वितीय फर्श के उपर चबूतरे के सामने वाले भाग का 50% कब्ज़ा पूर्ण स्वामी की हैसियात से दुसरे पक्षकार को स्वत वापस प्रतिवर्तित हो जाएगा.
6. प्रथम पक्षकार के पास प्रथम फर्श निर्माण कार्य का अधुरा रखने का आधिकार नहीं होगा की द्वितीय पक्षकार को द्वितीय फर्श को पूरा करने में विघ्न हो , असुविधा हो तथा वित्तीय हानियों का सामना करना पड़े.
7. यह की प्रथम पक्षकार काथित द्वितीय फर्श के विकास , निर्माण एव पूरा करने के लिए यथापेक्षित सभी आवश्यक छुटो ,इजाजतो, अनुमोदनो,मंजूरियो तथा भावन निर्माण सामग्री इत्यादि के आबंटन के लिए अनेक प्राधिकारियों को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए मात्र द्वितीय फर्श की बाबत महान्यायवादी के रूप में एतद्वारा अप्रतिसन्हार्निय तौर पर द्वितीय पक्षकार का गठन करता हे और कथित प्रयोजनार्थ , कथित द्वितीय फारश के विकास ,निर्माण एव उसको पूरा करने के लिए अपेक्स्षित अनेक प्राधिकारो , अनेक छुटो , इजाजतो , अनुमोदनो , मंजूरिया, भवन निर्माण संबंधी सामग्री का आबंटन इ. विनिर्देशो , योजना दसतावेजो के प्रस्तुत किये जाने को सभी परिपेक्शो में , इस करार की कालावधि तथा पूर्ण क्रियान्वयन होने तक इस प्रकार चाहे जप कुछ भी हो सभी प्रयोजनों के लिए , द्वितीय पक्षकार या नाम निर्देशितो के पक्ष में एक अप्रतिसंहर्नीय मुख्तारनामा का निष्पादन कररने और / या रजिस्ट्रीकृत कराने का करार किया हे.अप्रती संदरणीय मुख्तारनामा के अन्तर्गत किसी भी एक पक्ष में भवन के निर्माण के पश्चात् कथित फर्श में दूसरे पक्षकार को दूसरे पक्षकार के अधिकार, हक एवम् हित को अंतरित करने दूस्तांतरित करने की शक्ति भी आयेगी लेकिन प्रथम पक्षकार को मात्र लिखित सूचना के बात और उसके खण्ड 26 के अध्यधीन रहते हुए मात्र तथाकथित अंतरण की एक पूर्ववर्ती होने के लिए वर्तमान निबन्धनों को मात्र प्रस्तुत करने के पश्चात्
8. यह कि प्रथम पक्षकार अंतरण को सम्मिलित कर अनेक प्रयोजनार्थ एक नोटरी दारा तथा उपरजिस्ट्रार के समक्ष दोनों सम्यक रूप से अधिप्रमाणित द्वितीय फर्श के निर्माण के लिए व्यापक साधारण मुख्तार नामा एवम् विशेष मुख्तारनामा का निष्पादन करेगा। अतिरिक्त तौर पर पक्षकारों के बीच पारस्परिक तौर पर करार पायी ड्राफ्ट तथा यथा नीचे सूचीबद्ध ड्राफ्ट के अनुसार दस्तावेजो का निष्पादन प्रथम पक्षकार द्वारा भी किया जायेगा।

(क) ................. धन प्रतिफल के लिए रसीदे।।

(ख) एक नोटरी द्वारा अधिप्रमाणित लोक निकाय/पट्टाकर्ता के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए अनेक मुद्दो हेतु विशेष मुख्तारनामा।

(ग) द्वितीय फर्श तथा उसके चबूतरा के 50% में पूर्ण और सदैव के लिए अधिकार, हक एवम् हित की वसीयत करने वाली बिल।

(घ) द्वितीय फर्श तथा चबूतरे के 50% का विक्रय करने का करार।

(ङ) वस्तुतः कब्जा सौप देना।

(च) द्वितीय फर्श संरचना का निर्माण करने का लाइसैस : और

(छ) द्वितीय फर्श तथा 50% चबूतरे के लिए मासिक तौर पर पट्टा करार।

1. यह कि द्वितीय पक्षकार एवम् इसके समनुदेशिती की कोई भी एवम् आलेखकर्ता इत्यादि उन संपूर्ण घोषणाओं, वर्गीकरणों एवम् दस्तावेजो को देने के लिए आबद्ध किया हुआ रहेगा जिसकी अपेक्षा द्वितीय फर्श तथा कथित द्वितीय फर्श के खुले चबूतरे के 50% को छोड़कर तपूर्ण सम्पत्ति की बाबत इसके अन्य अधिकारो, हक एवम् हित को पुष्ट करने या स्थापित करने के प्रयोजनार्थ प्रथम पक्षकार द्वारा जैसे अपेक्षा की जाय जो मात्र दूसरे पक्षकार होगी।
2. यह कि पक्षकारगण पृथक विद्युत, वाटरमीटर इत्यादि को प्राप्त करेगे और कर प्रयोजनार्थ साथ उनके क्रमिक भागो की दाखिल खारिज करायेगा। मान पृथक मीटर किसी भी कारणवश संभव नहीं है तो पक्षकार इन सभी लेखाओं पर सभी खर्चों के मीटर शेयरिंग " एक पारस्परिक तौर स्वीकारणीय प्रणाली का पोषण करेगा। दोनों पक्षकारगण किसी भी विभाग द्वारा किसी कुर्की, मंजूरी, विक्रय इत्यादि से सम्पत्ति की सुरक्षा करने के उनके क्रमिक शेयरो का तत्काल सम्पूर्ण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. यह कि स्टेयर केस एवम अन्य सामान्य मामला दोनों पक्षकारों के लिए उभयनिष्ठ सा प्रकार प्रतिभूति प्रयोजनों के लिए दोनों पक्षकारगण इसके स्पष्ट केस/सामान्य क्षेत्रो में बाजा को नियत कर सकता है परन्तु वह जबकि उसको गोदरेज टाली से फिट किया वगा और दूसरी चाभी दूसरे पक्षकार को प्रदान की जायेगी।
4. यह कि प्रथम पक्षकार उस चालन मार्ग क्षेत्र के नीचे एक पृथक भूमिगत तालाब का निर्माण करायेगा जो दूसरे पक्षकार द्वारा अनन्य प्रयोग के लिए उपलब्ध होगा। तालाब स्वामित्व किसी भी प्रकार प्रथम पक्षकार के पास रहेगा।
5. यह कि प्रथम पक्षकार ................. पृथक पक्ष ने एक क्षतिपूर्ति की है कि उपर्युक्त कटम्ब सदस्यों के पास कथित फर्श में कोई अधिकार नहीं है और किस रूप में कोई भी आक्षेप करार के बारे में नहीं कर सकते है चाहे जो कुछ भी हो। प्रथम पक्षकार एतद्द्वारा करार करता है। और आश्वासन देता है कि उसने कथित फर्श की बाबत तारीख तक किसी भी दूसरे के साथ कोई ऐसा करार या संव्यवहार नहीं किया है।
6. यह कि पक्षकार मात्र आवासिक प्रयोजनों के लिए परिसरों का प्रयोग करेगा और गेसी रीति से कि शेष सम्पत्ति का उपयोग करने के लिए पृथक पक्षकार को या किसी भी दूसरे को कोई बाधा या आक्षेप नहीं होता है।
7. यह कि सम्पूर्ण इमारत का प्रयोग मात्र आवासिक प्रयोजनों के लिए किया जायेगा और कोई भी अवैधानिक या अननुज्ञेय प्राप्त नहीं उपयोग कर्ता ऐसे प्रत्येक पक्षकार द्वारा सम्पादित किया जायेगा कि प्रवेश के / अधिकारो इत्यादि का प्रयोग करके डी. डी. ए. की संभावना को टाला जा सके। यह एतद्द्वारा और आगे स्पष्ट कर दिया जाता है कि किन्ही नुकसानियों, शास्त्रियों, कम्पाउण्डिग प्रभारो इत्यादि का उद्ग्रहण किसी भी पक्षकार द्वारा प्रयोगकर्ता के लिए डी. डी. ए. /एम. सी. ए. द्वारा उद्ग्रहण किया जाताहै तब यह कि पक्षकार उसका संदाय करने के लिए अनन्य रूप से उत्तरदायी होगा।
8. यह न तो प्रथम पक्षकार और न ही द्वितीय पक्षकार किन्ही परिस्थितियों में या उनके अधीन करार को संहृत या रद्द कर दे चाहे जो कुछ हो।
9. यह कि इस करार के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दिल्ली नगर पालिका और / या अन्य प्राधिकारियों से भवन निर्माण योजना इत्यादि की अपेक्षित इजाजतो, मंजूरियाँ को प्राप्त करने में अन्तर्ग्रस्त सम्पूर्ण व्यावसायिक लागतो एवम् खर्चों का प्रथम पक्षकार द्वारा वह न एवम् भुगतान किया जायेगा। प्ररुप 'ग' एवम् 'घ' और प्रमाण पत्र को पूरा करने के चरण पर उपगत किया जाने वाले विधिक खर्चों को सम्मिलित कर सम्पूर्ण खर्चों का दोनों पक्षकारो के बीच एक समान रूप से हिस्सा लगाया जायेगा।
10. यह कि किसी भी पक्षकार के विरुद्ध चाहे जिस भी प्रकृति का कोई दावा, माग/मुकदमा/ और/या न्यायालय की कोई डिक्री हो, तो यह इस करार की शर्त है कि विकास कार्य और/या इस करार का पूरा किया जाना किसी भी समय या निर्माण के दौरान या पूरा किया जाने के पश्चात् या क्रमिक पक्षकारों को कब्जा सौपा जाने पर किसी भी रीति से चाहे जो कुछ भा कोई भी दावा, माँग, नहीं बन्द किया जायेगा, न हीं रोका जायेगा, उसको बाधा नहीं पहुचाई जायेगी या नहीं विलम्बित किया यह कि कोई भी दावो, माँगे मुकदमा और / या न्यायालय की डिक्रियाँ सम्बन्धित पक्षकार के हिस्से से मात्र पूरी की जायेगी या उनका समाधान किया जायगा। इस करार के अधीन उनका होने वाले निर्मित क्षेत्रों में या उसके उत्पाद और यह कि काई ऐसा दावा, परादेय माँगे, मुकदमा और / या किसी प्राधिकारी से न्यायालय की डिक्री भार / या न्यायालय किसी भी रीति से दूसरे पक्षकार के हिस्से को प्रभावित नहीं करेगा या उससे वसूला नहीं जायेगा।
11. दोनों पक्षकारगण मात्र उनके निर्माण का सम्पादन और पूर्णतया मंजूर की गयी योजना पाठत अन्य लागू विधियो, नियमों एवम विनियमनो के अनुसार करेंगे। जैसा पक्षकारगण इस समय अनुज्ञेय समझते है, एफ. ए. आर. 160 है। यह करार किया जाता है कि एफ. ए. आर. गा चाहे जो भी अनुज्ञेय हो एफ. ए. आर. को 60 (जी. एफ.), 60 (एफ. एफ.) (एफ. एफ.) के अनुपात में विभाजित कर दिया जायेगा। पक्षकारगण यह समझते है कि वर्तमान र में 1175-00 वर्ग फिट अग्रिम शर्त के अध्यधीन रहते हुए निर्माण करने के लिए द्वितीय पक्षकार हेतु द्वितीय फर्श के अनुज्ञेय आच्छादित किया गया क्षेत्र है कि मानले कोई शमनीय गस्ति फर्श के अनुसार उपलब्ध है तो द्वितीय पक्षकार उन सभी शर्तो पर शमनीय होने शास्ति का लाभ लेने के लिए प्रथम पक्षकार के अधिकार को सम्मिलित करे जमीन फर्श एवम प्रथम फर्श के सम्बन्ध में प्रथम पक्षकार के अधिकार को प्रतिकूल तौर पर प्रभावित किये बिना ही उसका लाभ ले सकता है मान ले शमनीय होना। शास्ति पूर्णतया सम्पत्ति के लिए है तो उसके योग को 60 : 60 : 40 के अनुपात में भी विभक्त किया जायेगा। द्वितीय पक्षकार मात्र अधिकतम उतने का ही निर्माण करायेगा जितना कि प्रथम पक्षकार प्रथम (फर्श) गैरेज के ऊपर निर्माण करायेगा। दोनों पक्षकार क्रमशः अपने स्वयं के खर्चे एवम् दायित्व पर 3 फिट बालकनियों का निर्माण करा सकता है। किसी भी पक्षकार को न तो मौजूद रेखा के परे खुले स्थानों, मार्ग इत्यादि को बाधाँ पहुँचाना है।
12. स्विच एवम् विद्युत सम्बन्धित नियंत्रण मात्र क्रमिक फर्शो पर स्थित होगी। सभी फर्श की पम्प प्रमुख सीढ़ी-सम्बन्धी मामले के या आधार फर्श पर किसी अन्य स्थान के नीचे होगी जिसको प्रथम पक्षकार इसके अनन्य विवेकाधिकार में चुन सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा।
13. यह करार किया जाता है कि द्वितीय फर्श के चबूतरे का 50% रिपर भाग प्रथम पक्षकार में निहित होगा जबकि कथित चबूतरे के सामने का 50% दूसरे पक्षकार के साथ होगा। किसी प्रकार दूसरा पक्षकार सम्पूर्ण चबूतरा निर्माण के गुण के लिए उत्तरदायी होगा, परन्तु यह तब जबकि यदि प्रथम पक्षकार द्वारा किसी विशेष उपयोगकर्ता के कारण कोई फिसाई नहीं होती है तो प्रथम पक्षकार उस विस्तार तक मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। अन्य घटनाओं में दूसरा पक्षकार भरणपोषण की प्रतिपूर्ति करेगा चूँकि यह रिपर भाग दूसरे पक्षकार के दूसरे फर्श भाग के ऊपर छत होगा।
14. यह कि स्टेयर हाल और द्वितीय फर्श के चबूतरे को द्वितीय फर्श के एक शामिलाती स्टयर केस उसके खर्च को दोनों पक्षकारो द्वारा एक समान रूप से वहन किया जाने वाले इतर फर्श को पूरा करने के पश्चात् बनवाया जायेगा। दूसरे प्रथम फर्श से दूसरे फर्श तक के स्टेयर कस और स्टेयर हाल की लागत दूसरे पक्षकार द्वारा वहन किया जायेगा।
15. यह कि दोनों पक्षकार कोई भी ऐसी बात नहीं करवायेगे जो शास्ति, असुविधा के या किसी अन्य प्रतिकल पक्षकार के साथ निरीक्षण कर सकेगे।
16. यह कि दोनों पक्षकारगण अच्छी एवम् ठीक हालत में अपने-अपने क्रमिक भागों को वा और कोई बात नहीं करेगे या किया जाने का लोप करेगे जो कथित परिसर के भाग को खतरा पैदा कर सकेगे या प्रतिकूल तौर पर प्रभावित कर सकेगे।
17. यह कि दोनों पक्षकार के पास भूमिगत या टैंक के शीर्ष पर, पम्प हाउसेज, विद्युत या जल की मोरी स्तम्भो, दीवारो इत्यादि तक पहुँचने का पूर्ण अधिकार रखेगा जिसकी आपात प्रकृति की सफाई पा मरम्मतो के लिए अपेक्षा की जाय या किन्ही अन्य अपेक्षाओं के लिए।
18. यह कि किसी अन्य व्यक्तियों पर इस प्रकार की उनकी सम्पत्तियों या प्रसुविधाओं और/या लाभ को अंतरित करने की इच्छा करने वाला प्रत्येक पक्षकार चाहे पूर्णतः या अंशत हो स्पष्टरूपेण अंतरण के संव्यवहार में अनुबन्धित करेगा कि इस करार के निबन्धनों एवम् शर्ते उस करार का भाग होगी। इसके समरूप ही यदि कोई भी पक्षकार पट्टा / अनुज्ञप्ति पर सम्पूर्ण परिसर को किसी भी दे देता है तो इस करार के निबन्धन एवम् शर्तो को उस दस्तावेज के एक भाग बनाये जायेगे और उसकी एक प्रतिलिपि यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरे पक्षकार को दे दी जायेगी कि यह अनुपालन किया जा चुका है। परन्तु यह तब जबकि दूसरा पक्षकार निम्नलिखित आकस्मिकता को छोड़कर इसकी तारीख से 10 वर्षों की एक कालावधि के लिए, इस करार के अधीन द्वितीय फर्श का अंतरण करने, विक्रय करने । उसको बंधक रखने या अन्य संक्रामण करने या किसी अधिकार का हकदार नहीं होगा। परन्तु यह और कि आपवादिक परिस्थितियों में, दूसरा पक्षकार प्रथम पक्षकार को सहमति से 10 वर्षों की. समाप्ति के पूर्व भी द्वितीय पक्षकार को द्वितीय फर्श को बेचने का हकदार होगा जिसको प्रथम पक्षकार अयुक्तियुक्त रूप से सहमति को इन्कार नहीं करेगा।
19. किसी भी समय, चाहे जो कुछ भी हो, पैदा होने वाला विवाद चाहे इस करार के सम्बन्ध में या इसके संगत हो या कोई भी अन्य मुद्दा, इस प्रकार कोई भी कथित परिसरो की स्वामित्व, उपयोग या उपभोग से सम्बन्धित हो, दोनों पक्षकारो को पारस्परिक तौर पर स्वीकारणीय एक मध्यस्थ द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।
20. पक्षकारों ने यह करार किया है कि करार का ज्ञापन पक्षकारो के बीच सम्बन्धों एवम् संव्यवहारों को शासित करने वाला आधारभूत दस्तावेज है। पैरा 8 में निर्देशित किये गये दस्तावेजों को सर्वाधिक सुविधाजनक प्ररूप एवम् रीति से दूसरे पक्षकार द्वारा लिखा जायेगा और एक विपण्य हक को प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्षकार को सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला बनाया जायेगा। किसी प्रकार, उन सभी दस्तावेजों में से किसी भी (तथा उसके निबन्धनों) और वर्तमान ज्ञापन (या उसके निबन्धनों) के बीच कोई विवाद, मतभेद, या विरोधाभाष होने की दशा में, हो तो प्रथम ज्ञापन अध्यारोही प्रभाव रखने वाला होगा और पक्षकारो के बीच वास्तविक संव्यवहार एवम वास्तविक करार को अवधारित करने के लिए क्रियान्वित होगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारो ने निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में वर्णित दिन, एवम् वर्ष को इस विलेख पर हस्ताक्षर किया है।

.

.

**प्रथम पक्षकार**

**द्वितीय पक्षकार**

**साक्षीगण**

1. **...............**
2. **...............**